

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 278A/2015-16

दुलाल सरदार उर्फ दुलाली बनाम उर्मिला माझी

:: आदेश ::

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

31.07.18

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता दुलाल सरदार उर्फ दुलाली, पिता स्व० मोहन सरदार उर्फ मोहन भूमिज, ग्राम-घुटुसाई, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता उर्मिला माझी पति मानिक माझी, ग्राम-सरायकेला वार्ड नं०-2, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। जिसका अंचल अधिकारी द्वारा अनुशंसा प्राप्त नहीं हुआ है साथ ही आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

31/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।